न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 10/2019 दायर तारीख 18-06-2019

1. उगमाराम पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी भादवा तह. परबतसर

—: *अपीलान्ट*

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भादवा
2. तहसीलदार परबतसर
3. भू. अभिलेख निरीक्षक बडू
4. पटवारी हल्का भादवा

— रेस्पोडेन्टस

अपील बाबत :– नामान्तकरण संख्या 1956 पर ग्राम पंचायत भादवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.1990 के विरूद्ध, अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. अपीलार्थी उगमाराम पुत्र पेमाराम रेगर ने जरिय अधिवक्ता श्री गजराज चौहान नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया ग्राम भादवा की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 586 रकबा 0.2950 हैक्टयर जमीन स्थित हैं जिसके पुराने खसरा नम्बर 488 हैं अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानूनी रूप से सही भरा गया हैं, केवल मात्र अपीलान्ट का नाम दुरूस्त करने हेतु नामान्तकरण अपील पेश की है। अपीलान्ट के तमाम दस्तावेज में अपीलान्ट का नाम उगमाराम बनाम पेमाराम हैं गांव भादवा में धन्नाराम पुत्र पेमाराम नाम का तथा धन्नाराम पुत्र पेमाराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं दोनों नामा की एक ही व्यक्ति हैं जो दोनो नामें

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी

से जाना पहचाना जाता हैं। अपीलान्ट का ग्राम भादवा के उपरोक्त खसरा नम्बर 586 रकबा 0.02950 हैक्टयर की भूमि में राजस्व कर्मचारीयों की गलती से धनाराम पुत्र पेमाराम अंकित हुआ हैं जबकि अपीलान्ट का सही नाम उगमाराम है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया हैं कि नामान्तकरण संख्या 1956 ग्राम भादवा को इस हद तक संशोधन फरमावें कि अपीलान्ट का धन्नाराम पुत्र पेमाराम के स्थान पर उगमाराम पुत्र पेमाराम की रिकार्ड दुरूस्ती हेतु आदेश फरमावें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रमाण पत्र पेश किया है। रेस्पोडेन्ट 2, 3, 4 के तामील सुदा प्राप्त होने के बाजवूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षी कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रामाण पत्र पेश किया है। अपीलान्ट ने अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 1956 की प्रमाणित प्रति व मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, की छाया प्रति पेश की

3. रेस्पोडेन्ट संख्या सरपंच ग्राम पंचायत भादवा द्वारा प्रमाण पत्र पेश कर निवेदन किया हैं भादवा के उगमाराम पुत्र पेमाराम जाति रेगर निवासी भादवा तथा धन्नाराम पुत्र पेमाराम रेगर निवासी भादवा के नाम का व्यकित एक ही हैं धन्नाराम बोलता नाम हैं जो राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हैं सही नाम उगमाराम है।

4. अपीलन्ट के अधिवक्ता की अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट की बहस में जाहिर किया गया हैं कि अपीलान्ट को ग्राम में दो नामों से जाना जाता था। जिससे नामान्तकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम धन्नाराम दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट का सही नाम उगमाराम है। अपीलन्ट के सभी दस्तावेजों में नाम उगमाराम दर्ज है, नामान्तकरण दर्ज करते समय त्रुटि की गई हैं जो दुरूस्त योग्य है।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1956 के अनुसार गत खसरा नम्बर 488 के खातेदार सह खातेदार नरेन्द्रसिंह पुत्र सालमसिंह कौम राजपूत सा. बडू द्वारा बैचान करने पर बैचान दस्तावेज के आधार पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.09.1990 को दर्ज किया जाकर भू. अभिलेख निरीक्षक के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किया

21/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

गया। भू. अभिलेख निरीक्षक जमाबन्दी अंकन तथा दस्तावेज रजिस्ट्री की जांच अनुसार सही होने पर सरपंच ग्राम पंचायत भादवा द्वारा दिनांक 10.10.90 को स्वीकृत किया गया है।

6. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1956 फौतगी नामान्तकरण नहीं हो कर बैचान दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया हैं। बैचान दस्तावेज में प्रार्थी का जो नाम दर्ज किया गया था। जिसके बाद भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा उसकी जांच की गई हैं बैचान दस्तावेज व नामान्तकरण का अंकन सही होना पाया था। जिसके बाद सरपंच ग्राम पंचायत भादवा द्वारा ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक में मजमे आम स्वीकृत किया गया था। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण दर्ज होने में किसी प्रकार की त्रुटि सिद्ध करने में असफल रहा है। अपीलान्ट ने यह अपील 29 वर्ष बाद अपील पेश कर नामान्तकरण में नाम गलत अंकित होना बता कर नामान्तकरण खारिज करना चाहा है। अपीलान्ट ने अपील के लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत भादवा द्वारा दिनांक 10.10.1990 को नामान्तकरण संख्या 1956 पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील पेश कर नामान्तकरण खारिज करना चाहा हैं। जिससे स्पष्ट हैं की अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर है तथा दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नही की जाने के कारण अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व दर्ज नामान्तकरण किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं। यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)